

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 195/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गुसाईराम वगैरा बनाम देराजराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी — श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील — श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय

दिनांक - 16.08.2019

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा बांकाणा, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 2 रकबा 111.04 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदासी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। आवेदन में वर्णित खसरों की पैमाईश रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त, शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा बांकाणा, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 2 रकबा 111.04 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना, मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हत्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)

(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2019/

प्रार्थीगण :-

1. गुसाईराम 2. भोमाराम 3. मोटाराम पि. रावताराम
4. माजूदेवी पत्नि रावताराम 5. गुमनाराम 6. टीकमाराम
7. भेराराम पि. पूनमाराम, जाति जाट
निवासी बांकाणा, तहसील चौहटन
8. उमाराम पुत्र देदाराम 9. प्रभूराम पुत्र प्रहलादराम
जाति कुम्हार, निवासी बांकाणा, तहसील चौहटन

दिनांक

विप्रार्थीगण:-

1. देराजराम 2. जोगाराम 3. प्रभूराम पि. कुम्भाराम
जाति जाट, निवासी बांकाणा
4. वगताराम 5. तुलसाराम 6. बांकाराम 7. सोनाराम
पि. हेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी बांकाणा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 195/2018

दिनांक : 16.08.2019

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा बांकाणा के खेत खसरा सं. 2 रकबा 111.04 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



(वीरमाराम)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड-अधिकारी, चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2019/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गुसाईराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण देराजराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

442-45

दिनांक 16/8/2018



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन